



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13284

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 556 सन् 2026

रमेश कुमार और 22 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि (I) याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 22.12.2025 को भदोही जिले में सफाईकर्मी के रूप में तैनाती के संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को परमादेश जारी किया जाए; (III) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे; (IV) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए, क्योंकि इसमें अंतर्निहित तकनीकी खामी है और याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।